दू.मेल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 अरेरा हिल्स जेलरोड किसान भवन भोपाल

क्रमांक/विभा.जांच/2021-1389/ 1657 भोपाल दिनांक 25/11/2022

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक-सी-6-1/2009/3/1 दिनांक 20 मई 2009 में शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही(विभागीय जांच) लंबित रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाए तो उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्य तत्काल समाप्त करने के निर्देश है।

इस संबंध म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम,1998 में पृथक से कोई प्रावधान प्रतिस्थापित नही है।

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1972 की धारा 81(क) सहपठित धारा 26(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2022 को दिये गये अनुमोदन के पालन में म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम,1998 के विनियम 30(सात) के पश्चात् राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सेवकों की मृत्यु उपरान्त शासन नियमानुसार प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने बाबत नवीन प्रावधान विनियम 30(आठ) बोर्ड के संचालक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

30(आठ)

म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सेवकों द्वारा पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितता के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही (विभागीय जांच) उनकी मृत्यु उपरान्त तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाय।

प्रकरण में निर्णय लेने बाबत प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से)

(हस्ताक्षर)
(जी.व्ही. रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/विभा.जांच/2021-1389/ 1058 भोपाल दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायकए माननीय अध्यक्ष म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. उप संचालक (भण्डार/बोर्ड बैठक)/ चीफ प्रोग्रामर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सेवा विनियम में संशोधन हेतु।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय.................... की ओर भेजकर लेख है कि अपने संभाग के अधिनस्थ मण्डी समिति के सचिवों को आदेश की प्रति अपने स्तर से सर्व कराना सुनिश्चित करें।
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.........................जिला.......................
7. कम्प्यूटर शाखा/सूचना पटल।
8. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल